न्यायालय भू–अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड़ अधिकारी), शिवगंज, जिला–सिरोही (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारीः डॉ. नरेश सोनी, आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 55 /2023

प्रार्थीगण

(1) श्री रणजीत पुरी पुत्र स्वर्गीय श्री सज्जन पुरी, जाति– गोस्वामी (गोसाई)
(2) श्री भूपेन्द्र पुरी पुत्र स्वर्गीय श्री भंवर पुरी, जाति– गोस्वामी (गोसाई)
(3) श्री जगदीश पुरी पुत्र स्वर्गीय श्री दरीयाव पुरी, जाति– गोस्वामी (गोसाई)
(4) श्री राजेन्द्र पुरी पुत्र स्वर्गीय श्री दरीयाव पुरी, जाति– गोस्वामी (गोसाई)
(5) श्री मदन पुरी पुत्र स्वर्गीय श्री रघुनाथ पुरी, जाति– गोस्वामी (गोसाई)
सर्वनिवासीगण– शिवगंज, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला– सिरोही

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री पुष्पराज सोनी, प्रार्थीगण की ओर से
2. पेरोकार सरकार (तहसीलदार, शिवगंज)

उप खण्ड अधिकारी, शिवगंज (राजस्थान)

–:: आदेश ::– **दिनांक 02 जनवरी, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से यह राजस्व प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 136 के तहत अप्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि प्रार्थीगण के अपने पिता के समय से खातेदारी कब्जे–काश्त की कृषि भूमि ग्राम बड़गांव, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही में आई है, जिसके मूल खसरा संख्या 31 व 33 है एवं कुल रकबा 45–00 बीघा है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी भूमि है एवं प्रार्थीगण के पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, तत्पश्चात् प्रार्थीगण के बीच उक्त कृषि भूमि का पारीवारिक विभाजन किया गया जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 3, 4, 5 का 1/3 हिस्सा बतौर खातेदारी आपसी पारिवारिक विभाजन के तहत प्रत्येक की खातेदारी में 15–15 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति से पारिवारिक विभाजन होने के पश्चात् उक्त खसरा नम्बर के बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शे में तरमीम की गई एवं मूल खसरा नम्बर 31 व 33 के लगते खसरा संख्या 28 व 29 की खातेदारी की कृषि भूमि भी दर्ज है जिसमें से कुछ भूमि आबादी में संपरिवर्तन की गई एवं कुछ भूमि पर प्रार्थीगण के पूर्वजो का समाधि स्थल है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व मोमियों नक्शा ट्रेस में भू प्रबन्ध के समय मूल खसरा संख्या 31 व 33 जो मौके पर पूरा एक चक है, जिसके बीच में भू प्रबंध अधिकारी व राजस्व कर्मचारियों द्वारा सरासर गलत तरमीम कर खसरा संख्या 32 एक पट्टी के रूप में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में एक रास्ते के रूप में दर्शाया गया हैं, जबकि खसरा संख्या 32 कभी भी रास्ते का भाग नहीं रहा है एवं न ही उक्त रास्ता आगे जाकर खुलता है एवं न ही कभी पिछले 70–80 सालों से रास्ते के आलामात ही रहे हैं, बल्कि उक्त खसरा संख्या 31 व 33 के साथ एक चक रहा है और आज दिन तक प्रार्थीगण काश्त करते आ रहे है। एवं जो रास्ता भू प्रबन्ध के दौरान खसरा संख्या 32 को जो रास्ता में दर्शाया गया है वह सर्वथा ही गलत दर्शाया है, जिससे राजस्व रेकर्ड जमाबंदी से हटाया जाकर उक्त संशोधन किया जाना आवश्यक है। यह कि भू प्रबंध विभाग द्वारा जो मोमियों नक्शा ट्रेस तैयार किया गया है जो मूल नक्शा है और उस नक्शे में पश्चिम से पूर्व की ओर जो रास्ते के रूप में पट्टी दर्शायी गई है उक्त नक्शे के पश्चिम में जिस स्थान से लाईन खिची गई हैं वह 0 पोईन्ट हैं एवं उक्त 0 पोईन्ट होने से यह स्पष्ट रूप से जाहिर है कि यह रास्ते का भाग नहीं रहा है,

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

जो प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के पश्चिम दिशा में बने हुए गौरवपथ सड़क में उक्त रास्ता नहीं मिलता है, बल्कि नक्शे में मार्क AB के वहां रास्ते नक्शे के अनुरूप बंद है जबकि उसके लगते प्रार्थी संख्या 3, 4 व 5 की खातेदारी कृषि आराजी हैं एवं पूर्व दिशा की ओर जो रास्ते के रूप में खसरा संख्या 32 में पट्टी दर्शाई है वो भी बन्द है अर्थात् रास्ते के रूप में पट्टी तो अवश्य दर्शाई है लेकिन वह बंद है। इससे स्पष्टतया यह जाहिर है कि राजस्व नक्शे में जो खसरा संख्या 32 रास्ते के रूप में दर्शाई है यह सरासर गलत एवं बिना किसी आधार के गलत दर्शाई होने से उसे कानूनन ठीक कर उक्त संशोधन किया जाना आवश्यक है। यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी के चारों तरफ पक्के सीमेन्ट सड़क आये हुए है, उक्त कृषि भूमि के पूर्व दिशा की ओर गोकुलवाड़ी से केसरपुरा तक पक्का सी.सी. रोड़ 30 फीट चौड़ाई में बना हुआ है, इसी तरह पश्चिम दिशा की ओर 50 फीट चौड़ाई में डबल रोड बीच में डिवाईडर जो कॉलेज रोड से केसरपुरा इण्डस्ट्रीज एरिया में जाने तक सी.सी. रोड़ का निर्माण किया हुआ है एवं पश्चिम दिशा में स्थित गौरव पथ से केसरपुरा के तिराहे से केसरपुरा होते हुए काम्बेश्वर महादेव मंदिर जाने वाली डामर सड़क 40 फीट चौड़ाई में बनी हुई है जो राजस्व भूमि नहीं होकर उक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 33 में से सड़क निकाली गई है जिसका कोई मुआवजा राशि प्रार्थीगण को न ही दी गई है एवं न ही उक्त भूमि अवाप्त की गई है। इससे यह स्पष्ट तौर से जाहिर है कि उक्त भूमि जो नक्शे में खसरा संख्या 32 पट्टी के रुप में दर्शाई गई है जो बिना किसी मौके की जाँच किये गलत तरीके से दर्शाई गई है, जबकि मौके पर रास्ते का कोई अस्तित्व नहीं रहा है एवं न ही मौके पर रास्ता है फिर भी उक्त खसरा संख्या 32 को राजस्व नक्शे में रास्ते की पट्टी के रूप में दर्शाया गया है उसे नक्शे से हटाया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा संख्या 33 में से जो केसरपुरा काम्बेश्वर महादेव मंदिर जाने वाला डामर सडक बनी हुई है को रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्शित कर उक्त संशोधन किया जावे। यह कि ग्राम बड़गांव के खसरा नम्बर 32 को राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शे में भू प्रबंध विभाग व राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलती से रास्ते के रूप में अंकित किया हैं जबकि मौके पर रास्ते का कोई अस्तित्व ही नहीं है एवं न ही कभी रास्ते के रूप में उक्त भूमि उपयोग में आई है एवं उक्त रास्ता प्रार्थीगण के खातेदारी के बीच में गलत रूप से मौके की स्थिति के विपरित गलत अंकन कर दर्शाया है एवं नक्शे के अनुसार मौके पर ऐसा कोई रास्ता नहीं हैं एवं न ही कोई रास्ते के आलामात है, जिससे उक्त नक्शे में गलत रुप से जो रास्ता दर्शाया है, उसको नक्शें में संशोधन कर उक्त त्रुटि को सुधार किया जाना आवश्यक है। यह कि प्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि के बीच में रास्ता नहीं होकर दक्षिण दिशा की ओर रास्ता मौजूद है जिसको संलग्न नजरी नक्शा मे पिले रंग से दर्शाया गया है, जो मार्क EFGH दर्शाया है, ऐसी परिस्थिति में खसरा नम्बर 32 के रास्ते की सीमाएं वर्तमान नक्शा ट्रेस में से हटाकर नजरी नक्शा में दर्शित भूमि की जगह दर्ज कर संशोधन कर रेकर्ड दुरस्त किया जाना कानूनन आवश्यक है। यह कि राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गठित टीम द्वारा जो मौका फर्द दिनांक 03.07.2021 को बनाई गई है उससे भी यह स्पष्टतया जाहिर है कि खसरा संख्या 33 में खातेदारी की कृषि भूमि में से डामरीकरण सड़क निकल रही है एवं खसरा संख्या 32 किस्म रास्ता जो मौके पर चालु नहीं हैं एवं न ही कोई रास्ते के कोई आलामात ही हैं एवं न ही कोई रास्ता होना दर्शित किया है इससे यह स्पष्टतया जाहिर है कि भू प्रबंध व राजस्व कर्मचारियों द्वारा खसरा संख्या 32 रास्ता दर्शाया गया है जो सर्वथा गलत दर्शाया गया है जो मौके पर कभी भी रास्ता रहा ही नहीं है। संलग्न नजरी नक्शे में अंकित पीले कलर से दर्शाये स्थान पर नक्शा ट्रेस में संशोधन कर रेकर्ड में उक्त त्रुटि को सुधार किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बडगांव, पटवार हल्का बडगांव के खसरा संख्या 32 किस्म रास्ते की भूमि को खसरा संख्या 33 में से निकल रहे डामरीकरण सड़क के स्थान पर संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये पीले रंग की जगह राजस्व रेकर्ड नक्शे में संशोधन कर रेकर्ड दुरुस्त करने हेतु तहसीलदार शिवगंज को आदेशित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

लगातार पेज सं० 3

(2) प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्व भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार (तहसीलदार शिवगंज) द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार, शिवगंज के पत्र क्रमांकः कोर्ट/**431 दिनांक 12.10.2023** के द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत हुआ, जिसमें तहसीलदार, शिवगंज ने यह अंकित किया है कि प्रार्थीगणों के पिता के नाम से कृषि भूमि खसरा संख्या 31 व 33 (मूल खसरा) में आई हुई है जो वर्तमान में बंटवाडा होने से भिन्न खसरा संख्या दर्ज हुए है यह कि खसरा संख्या 31 के आगे होकर वर्तमान में खसरा संख्या 31, 31/1, 31/2, 31/3, 33/3 दर्ज है व मूल खसरा संख्या 33 के टुकडे होने से वर्तमान में खसरा संख्या 33/13, 33/3, 33/1, 33/2, 33, 33/891, 33/1053, 33/924, 33/14, 33/939 दर्ज है जो वर्तमान में प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारों के नाम दर्ज जिसकी वर्तमान जमाबंदी नकल संलग्न है व खसरा संख्या 32 वर्तमान में बिलानाम दर्ज है जिसकी किस्म रास्ता है, लेकिन खातेदारों ने बताया कि उपरोक्त राजस्व रेकर्ड में दर्ज रास्ता कभी भी चालू नहीं रहा, जबकि वास्तव में मौके पर यह रास्ता खसरा संख्या 33 में से होकर चलता है जिस पर डामरीकृत सडक बनी हुई है जो शिवगंज से काम्बेश्वर जी की तरफ जाती है। खसरा संख्या 31 व 33 के चारों तरफ रास्ता होने से खसरा संख्या 32 रास्ता मौके पर वर्तमान में उपयोग में नही आ रहा है। खसरा संख्या 32 खातेदारी भूमि खसरा संख्यां 31 व 33 के बीच में से निकल रहा है। खातेदारान ने बताया कि खसरा संख्या 33 की भूमि में से रास्ता निकाला गया वह तत्कालीन प्रशासन द्वारा खसरा संख्या 32 किस्म रास्ता की भूमि उसके एवज में दी गई थी। खसरा संख्या 32 किस्म रास्ता वर्तमान में मौके पर चालू नही है व कई वर्षो से बन्द है तथा रास्ते के मौके पर कोई आलामात मौजूद नही है। खसरा संख्या 32 किस्म रास्ता राजस्व रेकर्ड में बिलानाम दर्ज है जो वक्त सेटलमेन्ट से ही रास्ता दर्ज है, लेकिन मौके पर वर्तमान में कोई रास्ता नही है।

(3) प्रकरण में प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता व अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार (तहसीलदार, शिवगंज) की अन्तिम बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बडगांव, पटवार हल्का बडगांव के खसरा संख्या 32 किस्म रास्ते की भूमि को खसरा संख्या 33 में से निकल रहे डामरीकरण सड़क के स्थान पर संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये पीले रंग की जगह राजस्व रेकर्ड नक्शे में संशोधन कर राजस्व रेकर्ड व नक्शें को दुरुस्त करने हेतु तहसीलदार शिवगंज को आदेशित करने का अनुरोध किया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि राज्य सरकार के राजस्व (ग्रूप–6) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांकःप.3(17)राज–6/2021पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के बिन्दु संख्याः 8 में यह उल्लेख किया गया है कि "जहां रास्ता खातेदार कृषक के खेत/खातेदारी भूमि से निकलता है एवं कृषक द्वारा निरन्तर उपयोग किया जा रहा है किन्तु उसकी तरमीम राजस्व नक्शें से भिन्न मौके पर अन्य जगह है तो ऐसी स्थिति में मौके व राजस्व अभिलेख की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में गुणावगुण के आधार पर विनिश्चय कर राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती कर तरमीम कर सकेगा।" जबकि विद्वान पेरोकार सरकार (तहसीलदार शिवगंज) ने अप्रार्थी तहसीलदार, शिवगंज की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया। दौराने बहस प्रार्थीगण की और से लिखित बहस व राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.09.2021 की प्रति भी पेश की गई। तहसीलदार शिवगंज द्वारा मौखिक बहस में भी सहमति जाहिर की, कि वर्तमान खसरा नम्बर 32 की शुद्धि किया जाना उचित है

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रार्थीगणों के पिता के नाम से खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बड़गांव, पटवार हल्का बडगांव के खसरा संख्या 31 व 33 (मूल खसरा) में आई हुई है एवं उक्त खसरा संख्या 31 व 33 (मूल खसरा) की भूमि का प्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हो जाने से खसरा संख्या 31 व 33 के नये खसरा संख्या बट्टा रुप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुये है।

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

यह कि अप्रार्थी तहसीलदार, शिवगंज के जवाब में अंकित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि उक्त खसरा संख्या 31 व 33 (मूल खसरा संख्या) मौके पर एक चक के रुप में है तथा उक्त खसरा संख्या 31 व 33 की कृषि भूमि के बीच में भू प्रबन्ध के दौरान खसरा संख्या 32 किस्म रास्ता एक पट्टी के रुप में दर्शाया है, जो केवल उक्त खसरा संख्या 31 व 33 के मध्य ही है। अप्रार्थी तहसीलदार, शिवगंज के जवाब से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि मौके पर उक्त खसरा संख्या 32 किस्म चालू नहीं है, बल्कि वास्तव में मौके पर यह रास्ता खसरा संख्या 33 में से होकर चलता है, जिस पर डामरीकृत सडक बनी हुई है जो शिवगंज से काम्बेश्वर जी महादेव मेंदिर की तरफ जाती है। खसरा संख्या 31 व 33 के चारों तरफ रास्ते है एवं मौके पर खसरा संख्या 32 किस्म रास्ता मौके पर चालू नही है व कई वर्षो से बंद है तथा रास्ते के पर कोई आलामात भी मौके पर मौजूद नही है। खसरा संख्या 32 किस्म रास्ता राजस्व रेकर्ड में बिलानाम दर्ज है जो भू–प्रबन्ध के समय से ही दर्ज है, जबकि मौके पर कोई रास्ते के कोई आलामात मौजूद नहीं है एवं उक्त रास्ता दोनों तरफ से बन्द है, जो आगे कहीं नही जाता है तथा मौके पर खसरा संख्या 31 व 33 के बीच स्थित होकर एक चक के रुप में है, जिस पर प्रार्थीगण पिछले कई वर्षो से काश्त करते आ रहे है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज मौका फर्द दिनांक 03.7.2021 (जो तहसीलदार, शिवगंज के आदेश क्रमांकः भू.अ. / सीमांकन / 2021 / 1959 दिनांक 10.6.2021 के द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक, शिवगंज व भू–अभिलेख निरीक्षक, मांडानी की गठित टीम द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, शिवगंज एवं अडौस–पडौस के खातेदारों की उपस्थिति में सीमांकन कर बनाई गई थी) के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 31 व 33 के चारों तरफ रास्ते है और राज्य सरकार द्वारा इन रास्तों पर गौरव पथ, डामर रोड, डबल रोड का निर्माण किया गया है। प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 33 में से डामरीकृत सड़क शिवगंज से काम्बेश्वर तक जा रही है। उक्त मौका फर्द दिनांक 03.7.2021 व पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा ट्रेस को देखने भी यह जाहिर है कि प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 31 व 33 (मूल खसरा संख्या) के बीच में नक्शें में जो खसरा संख्या 32 रास्ता एक पट्टी के रुप में दर्शाया है, जो दोनों साईड से बन्द है। प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 31 व 33 के बीच में जो खसरा संख्या 32 एक पट्टी के रुप में रास्ता दर्ज किया है वह मौके पर पूरे एक चक के रुप में है तथा मौके पर प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 33 में से डामरीकृत सड़क शिवगंज से काम्बेश्वरजी तक जा रही है। प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी खसरा संख्या 33 में से निकाली गई उक्त डामरीकृत सडक शिवगंज से काम्बेश्वरजी का प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति के रुप में कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया है व न ही खसरा संख्या 33 की प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि उक्त सड़क निर्माण हेतु अवाप्त की गई है, जिसका राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट हैं। इससे ऐसा भी प्रतीत होता है कि उक्त खसरा संख्या 32 की भूमि राजस्व रेकर्ड व नक्शें में किस्म रास्ता एक पट्टी के रुप में भू प्रबन्ध के दौरान गलती से दर्ज हुई है, क्योंकि मौके पर खसरा संख्या 32 किस्म रास्ता की भूमि रास्ते हेतु उपयोग में नही आ रही है, न ही मौके पर कोई रास्ते के आलामात मौजूद है और उक्त खसरा संख्या 32 किस्म रास्ता की भूमि केवल प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि खसरा संख्या 31 व 33 (मूल खसरा) में ही दर्ज हुई है जो न तो आगे जाती है व न ही इस रास्ते में आने हेतु अन्य कोई मार्ग है, बल्कि मौके पर प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा संख्या 33 की भूमि में से राज्य सरकार द्वारा शिवगंज, केसरपुरा से काम्बेश्वर जी तक जाने वाली सड़क का निर्माण किया है, इसके अलावा भी मौके पर डामर सडक व डबल रोड प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 31 व 33 के चारों तरफ बने हुए है। **राजस्व (ग्रूप–6) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांकःप.3(17)राज–6 / 2021पार्ट / 91 दिनांक 30.9.2021 के बिन्दु संख्याः 8 में यह उल्लेख किया गया है कि "जहां रास्ता खातेदार कृषक के खेत / खातेदारी भूमि से निकलता है एवं कृषक द्वारा निरन्तर उपयोग किया जा रहा है किन्तु उसकी तरमीम राजस्व नक्शें से भिन्न मौके पर अन्य जगह है तो ऐसी स्थिति में मौके व राजस्व अभिलेख की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में गुणावगुण के आधार पर विनिश्चय कर राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती कर तरमीम कर सकेगा।"** ऐसी स्थिति में, राजस्व रेकर्ड व राजस्व नक्शा में खसरा संख्या 32 किस्म रास्ता की हुई तरमीम को दुरस्त करते हुए मौके की स्थिति अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 33 में निर्मित शिवगंज, केसरपुरा से काम्बेश्वर जी सड़क को राजस्व रेकर्ड व नक्शें में दर्ज व तरमीम करवाई जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

प्र0सं0 55/2023
रणजीतपुरी बनाम तहसीलदार शिवगंज
अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआरएक्ट

–::आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर **ग्राम बडगांव,** पटवार हल्का बडगांव के **खसरा संख्या 32 किस्म रास्ता** भूमि को राजस्व रेकर्ड व राजस्व नक्शें से खसरा नम्बर 31 एवं 33 के बीच से **विलोपित कर** राजस्व रेकर्ड व राजस्व नक्शें में खसरा संख्या 32 किस्म रास्ता भूमि को प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 31 व 33 (मूल खसरा) के साथ दर्ज कर तरमीम करने एवं खसरा संख्या 32 किस्म रास्ता के स्थान पर, ग्राम बडगांव, पटवार हल्का बडगांव के खसरा संख्या 33 (जो प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि है) में से निकल रहे शिवगंज, केसरपुरा–काम्बेश्वरजी डामरीकरण सड़क को राजस्व रेकर्ड में अंकन करने, खसरा नम्बर 33 में नया रास्ता दर्ज करने से संबंधित खातेदारों की भूमि कम होने व खसरा नम्बर 32 को विलोपित करने से संबंधित खातेदारों की भूमि में बढोतरी होने से सभी खातेदारों की भूमि को समानुपातिक रूप से दर्ज करने व मूल नक्शा लट्ठा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड व नक्शें को तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार शुद्धि किये जाने का आदेश तहसीलदार शिवगंज को दिया जाता है। **स्वीकृत प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न अंग माना जावे।** आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया ।

यह आदेश आज दिनांक 02.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(डॉ. नरेश सोनी R.A.S.)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)
दिनांक 02.01.2024

उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

कमांक/कोर्ट/2024/ 02
प्रतिलिपि पालनार्थ हेतु :–
तहसीलदार शिवगंज ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)